न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–03 / 2023

गोविन्दसिंह उर्फ गोमंदसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी शम्भू का भुर्ज तह0 कोलायत जिला बीकानेर

----प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

---- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ।

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड प्रार्थी वकील

– : निर्णय :–

दिनांक :– 5.3.2024

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम ग्राम सोलकियों की ढाणी उपनिवेशन तहसील गजनेर मुकाम कोलायत के ख0न0 980 मीन में 38 बीघा भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी का नाम गोविन्दसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपूत साकिन शंभु का भुर्ज तहसील कोलायत जिला बीकानेर अंकित है। उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय मुझ प्रार्थी का घरेलू व मुंहबोला नाम गोविन्दसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज कर दिया जबकि मेरे दस्तावेज में नाम उक्त रिकार्ड में अंकित नाम से भिन्न है। अतः प्रार्थी गोविन्दसिंह के स्थान पर गोमंदसिंह करवाकर रिकार्ड दुरुस्ती करवाने का प्रार्थी पूर्ण हकदार व अधिकारी है।
2. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।
3. प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत शंभु का भुर्ज द्वारा जारी प्रमाण पत्र, खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।
4. अप्रार्थी के जवाब के पश्चात् पटवारी हल्का देवडो की ढाणी श्रीमती सीता चौधरी से मौका का फर्द मौका चाहा गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द मौका अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने कथन किया गोविंदसिह

सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम-बीकानेर, मु कोलायत

का सही नाम गोमंदसिंह ही है व तत्समय गोमंदसिंह नाम ही अभिलेख में अंकन करवाने हेतु कहा गया था परंतु दोनों नाम बोलचाल भाषा में समान होने के कारण अभिलेख में नाम गोविंदसिंह दर्ज कर दिया। गांव में गोमंदसिंह वल्द लालसिंह व गोविंदसिंह वल्द लालसिंह नाम का एक ही व्यक्ति है। इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पटवार मण्डल देवडों की ढाणी के ग्राम शंभु का भुर्ज में पटवारी द्वारा दिनांक 29.12.2023 को तैयार फर्द मौका संलग्न पत्रावली है।

5. प्रार्थना–पत्र, प्रार्थना–पत्र के सलंग्न दस्तावेज व पैरोकार राज के इकबालिया जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रार्थना–पत्र व पेरोकाराज के जवाब प्रार्थना–पत्र अनुसार हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी का नाम गोमंदसिंह ही है जो प्रस्तुत सबूतों से सिद्ध होता है। अतः प्रार्थना पत्र में निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी गोविंदसिंह का सही नाम गोमंदसिंह ही है। अतः गोमंदसिंह पुत्र लालसिंह का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

6. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 5/3/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत